

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/177

दिनांक: 24.05.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00171

CICOM/A/2017/00320

अपीलकर्ता : श्री निखिल कुमार सिंह,
पुष्पा पैलेश, 'बी' एरिया,
मीठापुर, पटना - 800001.

निर्णय की तारीख : 24.05.2017

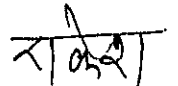
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.03.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	31.03.2017 को आर.टी.आई.-एम.आई.एस. पर अपलोड
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर.एल.गुप्ता
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.05.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	134554/23.05.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	218/24.05.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SA/A/2016/000125 की संपूर्ण संचिका की अभिप्रमाणित प्रति की मांग की थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर.एल.गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 23.03.2017 का आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर.एल.गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

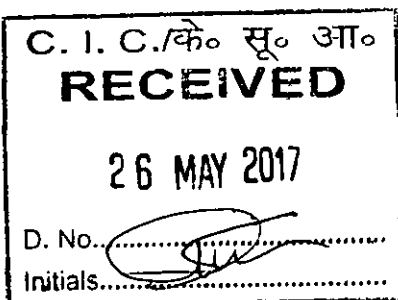
3. तद्वसार अपील निस्तारित की जाती है।

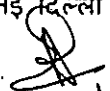
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।




26/5/17